PIB MAY 2017

GS PAPER I

1. महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित लापता बच्चों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप लापता बच्चों का पता लगाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की है।

Background:

शीर्ष अदालत ने पाया था कि लापता बच्चों का पता लगाने के लिए राज्योंद्वारा कई मानक संचालन प्रक्रियाएं विकसित की गई है। न्यायालय ने इसलिए मंत्रालय को एक आदर्श एसओपी तैयार (एसओपी) करने के लिए टीआईएसएस की मदद लेने का निर्देश दिया था, जिसका उपयोग देश भर मेंएकसमान प्रक्रिया का पालन कर लापता बच्चों के मामलों से निपटने के लिए सभी राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा/ किया जा सकता है।

Detail:

- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियम 2016 के अनुरूप लापता बच्चों का पता लगाने के लिए इस एसओपी को अंतिम रूप दिया गया है। एसओपी के जरिये मुख्य रूप से लापता बच्चों का पतालगाने और उन्हें बरामद करने के बाद उनके पुनर्वास का कार्य किया जाता है। इसमें पुलिस, बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्युसी) और किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) जैसे विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियांपरिभाषित की गई है।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियम 2016 के नियम 92(1) में लापता बच्चे को इस प्रकार परिभाषित किया गया है – किसी भी परिस्थिति या कारण से लापता ऐसा बच्चा जिसके माता-पिता,कानूनी अभिभावक या कोई अन्य व्यक्ति अथवा उस बच्चे को कानूनी तौर पर जिस संस्थान को सौंपा गया है, उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी न हों और जब तक उसका पता नहीं लगा लिया जाता उसकी देखभाल औरसंरक्षण की आवश्यकता या उसकी सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित नहीं होता, उसे लापता माना जाएगा।
- मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य हितधारकों के साथ समन्वय कर कार्य करना, लापता बच्चों के मामले में तुरन्त कार्रवाई करना, लापता बच्चों के संबंध में जागरूकता और मूलभूत समझ बढ़ाना, बच्चों की असुरक्षाऔर बाल संरक्षण, बच्चों को ढूंढ़ने में शामिल महत्वपूर्ण हितधारकों के लिए व्यापक संचालन प्रक्रिया प्रदान करना, उनके परिजनों को ढूंढ़ना, उनके परिवार से मिलवाना, सामाजिक पुनर्मिलन पुनर्वास और संरक्षण कार्य,लापता/पाये गये/खोजे गये बच्चों और खतरे में फंसे कमजोर बच्चों के अन्य समूह की सभी श्रेणियों के साथ मिलकर प्रभावी कार्य करना, अभियोजन सहित प्रभावी कानूनों का तेजी से अनुपालन सुनिश्चित करना, लापता बच्चोंको आगे और पीड़ित होने से बचाने के लिए तंत्र और प्रणालियां तैयार करना तथा पीड़ित/गवाहों को उचित और समय पर सुरक्षा/देखभाल/ध्यान देना सुनिश्चित करना है।

लापता बच्चों का पता लगाना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। एसओपी में जांच अधिकारी की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। जांच अधिकारी के लिए एक जांच सूची भी होती है, जिसमें कार्रवाईका ढ़ांचा, विचार और कार्रवाई प्रदान की जाती है, जिससे लापता बच्चों के मामलों की सक्षम, उत्पादक और पूरी जांच करने में मदद मिलती है। एसओपी को सभी पुलिस महानिदेशकों तथा

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रधानसचिवों के साथ साझा किया गया है, ताकि इससे अधिक जानकारी मिल सके और यह उपयोगी साबित हो।

GS PAPER II

1. **'एक बीमित -दो डिस्पेंसरी 'और' आधार पर आधारित ऑनलाइन दावा प्रस्तुतिकरण ' योजनाएं**

- **एक बीमित- दो डिस्पेंसरी'** योजना के तहत ईएसआईसी ने बीमित व्यक्ति (आईपी) को नियोक्ता के जरिए दो डिस्पेंसरी का चयन करने का विकल्प दिया है, जिनमें से एक डिस्पेंसरी का चयन खुद के लिए और दूसरी डिस्पेंसरी का चयन अपने परिवार के लिए करना होगा।
- इससे सभी बीमित व्यक्ति विशेषकर ऐसे प्रवासी कामगार लाभान्वित होंगे, जो अपने गृह राज्य को छोड़ कहीं और कार्यरत हैं, जबकि उनके परिवार अपने मूल राज्य में ही जीवन यापन कर रहे हैं।
- दूसरी डिस्पेंसरी का विकल्प उपलब्ध न होने के कारण परिवार के आश्रित सदस्यों को अक्सर चिकित्सा लाभों से वंचित रहना पड़ता है।
- 'एक बीमित- दो डिस्पेंसरी' की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने से अब बीमित व्यक्तियों के साथ-साथ उनके परिवारिक सदस्यों को भी इनमें से किसी भी डिस्पेंसरी में इलाज कराने की सुविधा मिल जाएगी और इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति में उन्हें किसी भी ईएसआई संस्थान में यह सुविधा मिल जाएगी।
- वर्तमान में लगभग 3 करोड़ बीमित व्यक्तियों को ईएसआईसी के अंतर्गत कवर किया जा चुका है और लाभार्थियों अर्थात बीमित व्यक्तियों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों की कुल संख्या 12 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है।

'आधार पर आधारित ऑनलाइन दावा प्रस्तुतिकरण' योजना के तहत वे सभी ईपीएफ सदस्य पीएफ के अंतिम निपटान (फॉर्म 19), पेंशन निकासी लाभ (फॉर्म 10-सी) और पीएफ आंशिक निकासी (फॉर्म 31) के लिए सीधे अपने यूएएन इंटरफेस से आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने अपने यूएएन को सक्रिय कर दिया है और अपने केवाईसी (आधार) को ईपीएफओ से जोड़ दिया है। ईपीएफ के दावा संबंधी कार्यभार में 80 प्रतिशत से भी ज्यादा का सामूहिक योगदान इन्हीं तीनों फॉर्मों का रहता है। सदस्यगण समूची प्रक्रिया को ऑनलाइन ही पूरा कर सकते हैं और दावे को ऑनलाइन पेश करने के लिए उन्हें न तो नियोक्ता और न ही ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क साधने की कोई जरूरत है। सदस्यगण को ऑनलाइन पीएफ आंशिक निकासी को प्राथमिकता देते समय कोई भी सहायक दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अग्रिम दावे को प्राथमिकता देते समय सदस्य द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने को ही उसकी स्व-घोषणा के रूप में मान लिया जाएगा।

2. गांधी और सहकारिता

यह महात्मा गांधी के चम्पारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष है। सूदूर चम्पारण में निल्हे कोठी के किसानों को अंग्रेजों ने व्यापार की सफलता के लिए दास बना रखा था। अप्रैल 1917 में गांधी ने मोतिहारी पहुंचकर किसानों केदासता की मुक्ति का बिगुल फूंका। उसकी धमक से अपराजेय अंग्रेजों की सल्तनत हिल गई। आखिरकार चम्पारण सत्याग्रह के तीस वर्ष बाद अग्रेजों को बोरिया बिस्तर बांधकर जाने को विवश होना पड़ा। सत्याग्रहों की सबलताऔर आत्मप्रयोगों के आधार पर महात्मा गांधी ने आजाद भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना बुना था। उनमें सहकारी उद्यमिता को प्रमुख था। वह भारत को सक्षम एवं स्वावलंबी

देखना चाहते थे। उन्हें पता था कि गांवों केस्वभाव में आपसी तालमेल है। सहयोगी चरित्र है। इसलिए ग्रामीणों के बीच सहकारी उद्यमिता का प्रसार आसान है। उन्होंने गांवों का विकास सहकारिता से करने की पैरवी की थी। राष्ट्रपिता के सहकारिता से प्रेम का नतीजा रहाकि आजादी के बाद खाली हुए उनके ज्यादातर अनुयायियों ने गुजरात और महाराष्ट्र में सहकारी आंदोलन का दामन थाम लिया। यही काम पंजाब के किसानों ने भी किया। और फिर यह पूरे देश में फैलता गया। गांधीजी नेभारतीय समाज और गांवों का अध्ययन सूक्ष्मता से किया था और पाया था कि सहकारिता उनके सादगी वाले प्रयोग के ज्यादा करीब है।

दरसल,सहकारी उद्यमिता का ध्येय लाभ कमाने के साथ समतामूलक समाज की स्थापना रहा है। सहकारी उद्यमिता का लाभांश भागीदारों के बीच एक निश्चित अनुपात में बांटे जाने की सुनिश्चितता रहती है। इसकामालिकाना हक किसी एक या सीमित व्यक्तियों तक बंधा नहीं रहता है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों से चलता है। मसलन किसी सहकारी उपक्रम में बड़े से बड़े अंशधारक यानी निवेशकर्ता के पास सबके समान एक ही वोट काअधिकार होता है। जबकि मलिकाना हक वाले अन्य उद्यमी व्यवस्थाओं में एक अथवा सीमित संख्या के मालिकों तक ही सीमित होता है। सहकारिता की इन्हीं खूबियों की वजह से वर्ष 2012 में 97वां संविधान संशोधन कियागया। इसमें सहकारिता को भारतीयों के मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया है। इस संशोधन के जरिए वर्षों से सहकारी संस्थाओं पर काबिज एमपी एमएलए-की छुट्टी होनी थी। लेकिन अदालत में इसे चुनौती दे दी गई।

महात्मा गांधी के सपनों के अनुरुप आज भारत भी दुनिया के प्रमुख सहकारी देशों में शामिल है। भारत मे सहकारी उपक्रमों की संख्या आठ लाख तैंतीस हजार है। सहकारी संस्थाएं प्राथमिक कृषि समिति से लेकर दुग्ध व उर्वरकउत्पादन, विनिर्माण, वितरण और विपपण के जैसे सैकड़ों कारोबार में सक्रिय हैं। इसके जरिए लोगों को व्यापक रोजगार मिल रहा है। बेरोजगारी आने वाले दिनों में बड़ी समस्या बने जा रही है। अगर सहकारी संस्थाएं सहभागिताको विकसित करके रोजगार की समस्या का समाधान कर रही हैं। इसका नतीजा है कि लघु व सुक्ष्म उद्योग के लिए चलने वाली खादी ग्रामोद्योग जैसी संस्थाओं को मूलभूत चरित्र सहकारिता से मेल खाता है। सहकारिता कीखुबियों का नतीजा है कि देश के लगभग 95 प्रतिशत गांवों में सहकारी संस्थाओं की पहुंच बनी हुई है। देश में सहकारी संघों की सर्वोच्च संस्था भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ सत्यनारायणबताते हैं कि .के मुख्य अधिशासी एन (एनसीयूआई) सहकारिता के व्यापक प्रचार प्रसार और सहकारी संस्थाओं के कामकाज में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सहकारिता को स्कूली पाठ्यक्रम में अनिवार्य रुप से शामिल किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी केचम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष में सरकार को इस बारे में फैसला कर लेना चाहिए।

सत्तर के दशक में हरित क्रांति लाने और खेतों को फसल से लहलहाने में सहकारी उद्यमिता की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उसके बाद जैसी सहकारी संस्था के जरिए भारत में श्वेत क्रांति लाना संभव हुआ। “अमूल“ भारत सबसेबड़ा दुध उत्पादक देश बन गया। आज लगभग सभी प्रमुख राज्यों में सहकारी उद्यमिता के जरिए उत्पादित दुग्ध के मशहूर ब्रांड बाजार में प्रचलित हैं। मसलन बिहार में सुधा, राजस्थान में सरस तो मध्यप्रदेश का सांची दुग्ध केस्वाद की धमक है। सहकारिता की इन खुबियों को स्कूली स्तर पर बताने के भावी पीढी को संवारने में मदद मिलेगी। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कूरियन की सादगीपूर्ण जीवन बताता है कि सहकारिता गांधीजी के सपनों केकितने करीब रहा है। दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक उद्यम के प्रमुख होने के बावजूद डॉ वर्गीज कूरियन अपने आखिरी दिनों में महज पांच हजारे रुपए के वेतन से आजीविका चलाते रहे।

सहकारिता का डंका सिर्फ भारत में ही नहीं बज रहा है बल्कि नीदरलैंड, फीनलैंड और नार्वे जैसे विकसित देशों के अर्थतंत्र की मजबूती में सहकारिता का योगदान बड़ा है। यूरीपीय देशों के अलावा चीन, जापान और वितयनाम कीतरक्की में भी सहकारी संस्थाएं खास योगदान कर रही हैं। बीते माह वियतनाम की

राजधानी होनोय में आयोजित एशिया प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के देशों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन- में सहकारिताकी सफलता औरभविष्य का खाका पेश किया गया। उसके मुताबिक दुनिया भर में सहकारी संस्थाओं के जरिए रोजगार पाने वालों की संख्या बहुराष्ट्रीय कंपनी की उद्यमिता से रोजगार पाने वालों की तुलना में कहीं अधिक है।

सम्मेलन में प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी एलायंस के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में सहकारी उद्यमी संगठनों की कुल संख्या पचीस लाख है जिसके डेढ़ करोड़ से ज्यादा लाभांश धारक हैं। जिससे से दो सौ पचास करोड़ ज्यादालोगों की आजीविका चल रही है। वियतनाम सम्मेलन का मकसद संयुक्त राष्ट्र की ओर से निर्धारित स्थायी विकास लक्ष्य 2030 को हासिल करने में सहकारिता की भूमिका तय करना था। इसमें पारित प्रस्ताव में दुनिया भर मेंसहकारी उपक्रमों की संख्या बढाकर 40 लाख तक पहुंचाने और इसके दायरे में दो अरब से ज्यादा आबादी को ले आने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सम्मेलन भारत के प्रतिनिधि बने राज्यसभा सांसद एवम् एनसीयूआई केअध्यक्ष डॉ चंद्रपाल सिंह यादव के मुताबिक सदस्य . देशों में सहकारी उपक्रमों के अनुकुल माहौल बनाने के सतत प्रयास जारी रखने पर जोर दिया गया। भारत में2006 से सहकारी उद्यमिता पर मिलने वाले कर छूट को खत्म करदिया गया है। इससे सहकारिता के विकास को लेकर उत्साहवर्धक नतीजे लाने में दिक्कत आ रही है। इसे लेकर सहकारी संघों क नेतृत्व और सरकार के बीच सतत संवाद का सिलसिला जारी है।

गौरतलब है कि बीते शताब्दी की दशा और दिशा तय करने के लिए जिस तरह महात्मा गांधी ने बीती सदी में ठीक इसी वर्ष 1917 में जिस तरह से चम्पारण सत्याग्रह किया था। उसी ढंग का ठोस प्रयास यदि मौजूदा वर्ष 2017 मेंकिया जाता है, तो यह पूरी इक्कीसवीं सदी को संवारने में मददगार साबित होगा। इस लिहाज से संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी विकास लक्ष्य 2030 को हासिल करने के लिए सहकारिता की ओर से किया जा रहा प्रयास महत्वपूर्ण हैं।इस प्रयास में सहकारिता की ओर से दुनिया की आबादी को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए उद्यमशील रहना, आर्थिक विकास करना, पर्यावरण को बचाना और मानवीय मूल्य के साथ काम जैसे मसले शामिल हैं। चम्पारणसत्याग्रह के शताब्दी वर्ष पर महात्मा गांधी की भावना के अनुरुप सहकारिता अगर गरीबी मुक्ति, भूख मुक्ति, बेहतर स्वास्थ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, असमानता का खात्मा, स्वच्छ जल व शौचलय, वैकल्पिक उर्जा, स्वावलंबीसमाज व शहर जैसे मसलों को लेकर आगे बढ़ती है, तो जाहिर तौर पर मानव सभ्यता को सजाने संवारने में मदद मिलेगा। सहकारिता की ओर से- पूर्व में हासिल उपलब्धियों के मद्देनजर यह काम कठिन नहीं लगता है।

3. अफ्रीकी विकास बैंक की वार्षिक बैठक के उद्घाटन में प्रधान मंत्री का भाषाण (एएफडीबी)

भारत के अफ्रीका के साथ सदियों से मजबूत रिश्ते रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से, पश्चिमी भारत, विशेष रूप से गुजरात तथा अफ्रीका के पूर्वी तट के समुदाय एक दूसरे की भूमियों में बसे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत के सिद्धी)Siddhis) लोग पूर्वी अफ्रीका से आए थे। तटवर्ती केन्या में बोहरा समुदाय 12वीं सदी में भारत आए थे। वास्कोडिगामा के बारे में कहा जाता है कि वह एक गुजराती नाविक की सहायता से मालिन्दी से कालिकट पहुंचे थे। गुजरात के लोगों)dhows) ने दोनों दिशाओं में व्यापार किया। समाजों के बीच प्राचीन संपर्कों से भी हमारी संस्कृति समृद्ध हुई। समृद्ध स्वाहिली भाषा में हिंदी के कईं शब्द मिलते हैं।

Relation during colonial times:

- उपनिवेशवाद युग के दौरान बत्तीस हजार भारतीय आईकोनिक मोम्बासा उगांडा रेलवे का निर्माण करने के लिए केन्या आए। इनमें से कईं लोगों की निर्माण कार्य के दौरान जानें चली गईं। लगभग छ: हजार लोग वहीं बस गए और उन्होंने अपने परिवारों को भी वहीं बसा लिया। कईं

लोगों ने ''दुकास'' नामक छोटे व्यवसाय शुरू किए, जिन्हें ''दुकावाला'' के नाम से जाना जाता था। उपनिवेशवाद के दौरान व्यापारी, कलाकार तथा उसके उपरांत पदाधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर और अन्य पेशेवर लोग पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका गए और इस प्रकार एक व्यावसायिक समुदाय का सृजन हुआ, जिसमें भारत और अफ्रीका के बड़े संपन्न लोग हैं।

- महात्मा गांधी, एक और गुजराती, ने अपने अहिंसक संघर्ष को धार भी दक्षिण अफ्रीका में ही दी। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले के साथ 1912 में तंजान्या की यात्रा की। भारतीय मूल के अनेक नेताओं ने श्री नेवरेरे, श्री केन्याटा तथा नेल्सन मंडेला सहित अफ्रीकी स्वतंत्रता संघर्षों के नेताओं को अपना पूरजोर समर्थन दिया और अफ्रीकी स्वतंत्रता के लिए अपनी आवाज बुलंद की। स्वतंत्रता संघर्ष के पश्चात भारतीय मूल के अनेक नेताओं को तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका की कैबिनेटों में नियुक्त किया गया। तंजानिया में भारतीय मूल के छः तंजानिकी नागरिक वर्तमान में संसद सदस्य हैं।
- पूर्वी अफ्रीका की ट्रेड यूनियन के आंदोलन की शुरूआत माखन सिंह ने की थी। ट्रेड यूनियन की बैठकों में ही केन्या की स्वतंत्रता की पहली आवाज उठी। एम. ए. देसाई और पियो गामा पिन्टो ने केन्याई संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित नेहरू ने एक भारतीय संसद सदस्य को श्री केन्याटा के रक्षा दल का भाग बनने के लिए उस समय भेजा जब 1953 में कापेनगुरिया मुकदमे के दौरान श्री केन्याटा को बंदी बना दिया गया था। केन्याटा के रक्षा दल में भारतीय मूल के दो अन्य व्यक्ति भी थे। भारत अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए अपने समर्थन के प्रति दृढ़ था। नेल्सन मंडेला ने कहा था, जिसे में यहां उद्धत कर रहा हूं, ''भारत ने तब हमारी सहायता की, जब बाकी देश हमारे अत्याचारियों के साथ खड़े थे। जब अंतर्राष्ट्रीय परिषद के दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके थे, तब भारत ने हमारे लिए दरवाजे खोले। भारत ने हमारी लड़ाई में इस तरह साथ साथ दिया जैसे कि ये उसकी लड़ाई हो।''

Relation after independence:

- गत दशकों के दौरान हमारे रिश्तें काफी मजबूत हुए हैं। 2014 में प्रधान मंत्री बनने के पश्चात 2015 एक ऐतिहासिक वर्ष था। इस वर्ष के दौरान आयोजित तीसरे भारत अफ्रीका शिखर वार्ता में सभी 54 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया, जिनके भारत के साथ राजनयिक संबंध थे। इसमें 51 अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार ने भाग लिया।
- 2015 से मैंने 6 अफ्रीकी देशों का दौरा किया, अर्थात दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, तनजांनिया, केन्या, मारीशस और सेशल्स ।
- हमारे राष्ट्रपति ने तीन देशों को दौरा किया, यानी नाम्बिया, घाना और आइवरी कोस्ट। हमारे उपराष्ट्रपति ने सात देशों का दौरा किया, अर्थात मोरक्को, टुनिसिया, नाइजीरिया, माली, अल्जीरीया, रवांडा और उगांडा। अफ्रीका में कोई ऐसा देश नहीं है जिसका पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भारतीय मंत्री ने दौरा नहीं किया है।
- अफ्रीका के साथ भारत की भागीदारी एक ऐसे सहयोग मॉडल पर आधारित है, जो अफ्रीकी देशों की जरूरतों के लिए संगत है। यह मांग आधारित है और इसके लिए कोई शर्ते नहीं हैं।
- इस सहयोग की पहल के रूप में, भारत एग्जिम बैंक के जरिए ऋण उपलब्ध कराता है। भारत ने अब तक 44 देशों को 152 ऋण उपलब्ध कराए हैं, जिसकी कुल राशि लगभग 8 बिलियन डालर है।
- तीसरी भारत-अफ्रीका शिखर वार्ता के दौरान भारत ने आगामी पांच वर्षों के दौरान विकास योजनाओं के लिए 10 बिलियन डालर दिए। हमने 600 मिलियन डालर की अनुदान सहायता भी प्रदान की।
- भारत को अफ्रीका के साथ अपने शैक्षणिक और तकनीकी संबंधों पर गर्व है। अफ्रीका के 13 वर्तमान या पूर्व राष्ट्राध्यक्षों, प्रधान मंत्रियों और उप-राष्ट्रपतियों ने भारत में शैक्षणिक या प्रशिक्षण

कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की है। अफ्रीका के 6 वर्तमान या पूर्व सैन्य प्रमुखों को भारत की विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षित किया गया है। अफ्रीका के दो आंतरिक मंत्रियों ने भारतीय संस्थाओं में भाग लिया। भारत तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग लोकप्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2007 से अब तक अफ्रीकी देशों के 33 हजार से अधिक पदाधिकारियों को छात्रवृतियां प्रदान की गई हैं।

- कौशल के क्षेत्र में हमारी सबसे अच्छी भागीदारी है ''सोलर मामाज़'' ("solar mamas")। प्रत्येक वर्ष 80 अफ्रीकी महिलाओं को भारत में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे सोलर पैनलों और सर्किटों में काम कर सकें। प्रशिक्षण के पश्चात जब वे अपने देश वापस जाती हैं तब वे अपने समुदाय को बिजली उपलब्ध कराने के लिए कार्य करती हैं। प्रत्येक महिला अपने देश लौटने पर 50 घरों को बिजली पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती है। महिलाओं के चयन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि वे या तो पूर्ण रूप से अशिक्षित हों या थोड़ी बहुत शिक्षित हों। ये महिलाएं भारत में प्रशिक्षण के दौरान और अनेक कौशलों की भी जानकारी प्राप्त करती हैं, जैसे कि टोकरी बनाना, मधुमक्खीपालन और किचन गार्डिनिंग।
- हमने 48 अफ्रीकी देशों को शामिल करते हुए टेली-मेडिशिन और टेली-नेटवर्क के लिए समूचे अफ्रीका ई-नेटवर्क परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया है। भारत में पांच अग्रणीय विश्वविद्यालयों ने अफ्रीकी नागरिकों को सार्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुवेट और पोस्ट ग्रेजुवेट कार्यक्रम प्रदान किए। भारत के बारह सुपर-सपेशियेलिटी अस्पतालों ने परामर्श और निरंतर चिकित्सीय शिक्षा प्रदान की। लगभग सात हजार छात्रों ने भारत में अपनी शिक्षा पूर्ण की। इसके अगले चरण की शुरूआत हम जल्दी करेंगे
- हम शीघ्र ही अफ्रीकी देशों के लिए कपास तकनीकी सहायता कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, जिसे वर्ष 2012 में आरंभ किया गया था। इस परियोजना का कार्यान्वयन बेनिन, बुरकिना फासो, चाड, मलावी, नाइजीरिया और उगांडा में किया गया था।
- Economic relation: अफ्रीका-भारत व्यापार गत 15 वर्षों में काफी ज्यादा बढ़ा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान यह दुगुना हुआ है, जो बढ़कर 2014-15 में लगभग बहत्तर बिलियन अमेरिकी डालर पर था। वर्ष 2015-16 में अफ्रीका के साथ हमारा जिंस व्यापार अमेरिका से भी अधिक था।
- **Trilateral framework:** अफ्रीका में विकास कार्यों को समर्थन देने के लिए भारत अमेरिका और जापान से भी बातचीत कर रहा है। मुझे अपनी टोकयो यात्रा के दौरान टोकयो के प्रधान मंत्री के साथ अपनी विस्तृत वार्ता अच्छी तरह याद है। हमने सभी देशों के लिए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर अपनी प्रतिबद्धता पर चर्चा की। हमारी संयुक्त घोषणा में हमने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कोरिडोर का उल्लेख किया और अपने अफ्रीकी भाईयों एवं बहिनों से आगे बातचीत जारी रखने का प्रस्ताव किया। भारतीय और जापानी अनुसंधानिक संस्थाओं ने एक विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है। इसे एक साथ प्रस्तुत करने के लिए मैं आरआईएस, ईआरआईए और आईडीई-जेटरो को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं। इसे अंतिम रूप अफ्रीका के विद्वानों के साथ परामर्श कर दिया गया। मुझे विश्वास है कि विजन डॉक्यूमेंट को आगामी समय में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हमारी सोच यह है कि अन्य इच्छुक साझेदारों के साथ भारत और जापन कौशल, स्वास्थय, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण तथा कनेक्टिविटी में संयुक्त पहलों की खोज करेंगे।

Role of private sector:

हमारी भागीदारी मात्र सरकारों तक सीमित नहीं है। भारत का निजी क्षेत्र निवेश को लगातार बढ़ावा देने में सबसे आगे है। 1996 से लेकर 2016 तक भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों में अफ्रीका का योगदान लगभग 1/5 रहा है। भारत अफ्रीकी महाद्वीप में निवेश करने वाले देशों में पांचवां सबसे बड़ा देश है।

पिछले 20 वर्षों के दौरान भारत के निवेश 54 बिलियन डालर से भी अधिक थे, जिससे अफ्रीकी नागरिकों के लिए रोजगार अवसर सृजित हुए।

Cooperation on Climate change:

अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि पहल, जिसकी शुरूआत नवंबर 2015, पेरसि में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुई थी, के प्रति हम अफ्रीकी देशों की प्रतिक्रिया से काफी प्रोत्साहित हैं। इस संधि को उन देशों के गठबंधन के रूप में देखा जा सकता है, जोकि सौर संसाधनों से समृद्ध हैं, ताकि उनकी विशेष सौर आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। मुझे इस बात की खुशी है कि अनेक अफ्रीकी देशों ने इस पहल को अपना समर्थन दिया है।

Relation through BRICS prism:

नए विकास बैंक, जिसे आम रूप से ''ब्रिक्स बैंक'' के रूप में जाना जाता है, के संस्थापक के रूप में, भारत ने दक्षिण अफ्रीका में क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की हमेशा ही हिमायत की है। यह अफ्रीकी विकास बैंक सहित एनडीबी और अन्य विकास साझेदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

AFRICAN DEVELOPMENT FUND & INDIA

भारत अफ्रीकी विकास फंड में 1982 में तथा अफ्रीकी विकास बैंक में 1983 में शामिल हुआ। भारत ने बैंक की सभी समान्य पूंजी वृद्धियों में योगदान दिया है। हाल ही के अफ्रीकी विकास फंड संपूर्ति के लिए भारत ने 29 मिलियन डालर गिरवी रखे हैं। हमने भारी ऋण से दबे गरीब देशों और बहुआयामी ऋण अवनयन योजनाओं में योगदान दिया है।

Agricultural cooperation:

- इन बैठकों के साथ-साथ, भारत सरकार भारतीय उद्योग संघ की भागीदारी में एक सम्मेलन और संवाद का आयोजन कर रही है। भारत सरकार ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के साथ एक प्रदर्शनी भी आयोजित की है। सम्मेलन और प्रदर्शनी में जिन मुख्य क्षेत्रों पर जोर दिया गया, उनमें कृषि से लेकर अभिनव तथा स्टार्ट-अप और अन्य विषय शामिल थे।
- इस कार्यक्रम का शीर्षक है ''अफ्रीका में संपदा सृजन के लिए कृषि में परिवर्तन''। इसमें एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें भारत और बैंक एक साथ सार्थक रूप से कार्य कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैंने कपास तकनीकी सहायता कार्यक्रम का उल्लेख पहले ही किया है।
- यहां भारत में मैंने 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगुना करने की मुहिम चलाई है जिसके लिए सतत रूप से प्रयास करने होंगे, जिनमें उन्नत फसल बीज और अधिकतम उत्पादन से लेकर फसल नुकसान कम करने तथा बेहतर विपणन बुनियादी ढांचा जैसे मुद्दे हैं। इस मुहिम पर चलते हुए भारत आपके अनुभवों से सीख लेने के लिए उत्सुक है।

<u>Same challenge in front of Both:</u>

हमारे सम्मुख आज जो चुनौतियों हैं, वे एक जैसी हैं, जैसे कि हमारे किसानों और गरीबों का उत्थान, महिलाओं का सशक्तिकरण, हमारे ग्रामीण समुदायों के लिए वित्त से पहुंच सुनिश्चित करना तथा बुनियादी ढांचा खड़ा करना। हमें ये कार्य वित्तीय सीमाओं के अंतर्गत ही करने हैं। हमें मैक्रो-इकनोमिक स्थिरता को कायम रखना है ताकि महंगाई को नियंत्रित रखा जा सके और हमारा भुगतान-शेष (बैलेंस ऑफ पेमेंट)